

**निदेशक मण्डल, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की
260वीं बैठक दिनांक 31 मई, 2023 का कार्यवृत्त**

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की 260वीं बैठक मा० अध्यक्ष, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद श्री नितिन रमेश गोकर्ण, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहे:-


1. श्री नितिन रमेश गोकर्ण,	अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,	अध्यक्ष
2. श्री रणवीर प्रसाद,	आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
3. डा० नीरज शुक्ला,	अपर आवास आयुक्त एवं सचिव, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद	सचिव
4. श्री धर्मेन्द्र वर्मा,	वित्त नियंत्रक, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
5. श्री डी०वी० सिंह,	मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
6. श्री संजीव कश्यप,	मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
7. श्री कल्याण बनर्जी	प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग	सदस्य
8. श्री दीपक सिंह,	वित्त नियंत्रक, ल०वि०प्रा०, प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, वित्त	सदस्य
9. श्री के० मोहन	नगर नियोजक, प्रतिनिधि, सी०टी०सी०पी०	सदस्य
10. श्री अजय कुमार सिंह,	अधीक्षण अभियन्ता, प्रतिनिधि उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा०	सदस्य

सर्वप्रथम आवास आयुक्त द्वारा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की ओर से मा० अध्यक्ष महोदय एवं मा० सदस्यगणों का स्वागत किया गया। परिषद बैठक की विषय सूची में सम्मिलित विभिन्न मदों पर सम्यक विचारोपरान्त निम्न प्रकार निर्णय लिये गये:-

विषय सूची


मद सं०	विषय	अनुभाग	निर्णय
260/1	परिषद की 259वीं बैठक दिनांक 13 मार्च, 2023 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	समन्वय	परिषद की 259वीं बैठक दिनांक 13 मार्च 2023 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
260/2	परिषद की 259वीं बैठक दिनांक 13 मार्च, 2023 की अनुपालन आख्या।	समन्वय	परिषद की 258वीं बैठक दिनांक 13 मार्च 2023 की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।
260/3	परिषद की अकबरपुर आजमगढ़ मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-01 अकबरपुर अम्बेडकर नगर को परित्याग किये जाने के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव में भूमि की विक्रयशीलता आदि का परीक्षण करते हुए प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।
260/4	भूमि विकास गृहस्थान एवं बाजार योजना अयोध्या के अन्तर्गत ग्राम-मांझा बरेहटा से सम्बन्धित नियोजन समिति की संस्तुतियों परिषद अधिनियम-1965 की धारा - 31(1) के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त नियोजन समिति का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
260/5	भूमि विकास गृहस्थान एवं बाजार पूरक योजना अयोध्या के अन्तर्गत ग्राम-मांझा बरेहटा से सम्बन्धित	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त नियोजन समिति का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

	नियोजन समिति की संस्तुतियों की स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।		
260/6	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद में लखनऊ शहर की आवासीय समस्या हेतु नई जेल रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान (पूरक) योजना मोहनलालगंज लखनऊ की धारा-28 के पूरक प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
260/7	नई जेल रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजन मोहनलालगंज, लखनऊ की धारा-31(1) के प्रस्ताव के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त नियोजन समिति का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
260/8	बरेली शहर में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की प्रस्तावित भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, बरेली-शाहजहाँपुर मुख्य बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग रोड परसाखेड़ा, बरेली के संचालन हेतु परिषद अधिनियम-1965 की धारा-31(1) की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त नियोजन समिति का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
260/9	परिषद की इंदिरा नगर योजना रायबरेली में स्थित अल्प आय वर्ग भवन संख्या-सी० 515 के पुनर्जीवन के सम्बन्ध में।	सम्पत्ति	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
260/10	परिषद योजनाओं में फ्री-होल्ड सम्पत्तियों के विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात् आवंटी द्वारा 10 वर्ष में भूखण्ड पर निर्माण न कर पाने की स्थिति में निर्माण हेतु 40 प्रतिशत शुल्क लेकर समयवृद्धि दिये जाने हेतु मा० निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली व्याख्यात्मक टिप्पणी।	सम्पत्ति	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
260/11	परिषद की योजनाओं में 20 प्रतिशत से अधिक अनिस्तारित रिक्त फ्लैटों के आवंटन के पश्चात् आवंटी द्वारा फ्लैट के कुल मूल्य का भुगतान 60 दिन में एकमुश्त करने पर फ्लैट के कुल मूल्य में 10 प्रतिशत छूट दिये जाने हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणी।	सम्पत्ति	यह कि परिषद की अन्य योजनाओं में 10 प्रतिशत की छूट के बावजूद भी बड़ी संख्या में सम्पत्तियों के निस्तारण से अवशेष रहने के कारण विक्रयशीलता में अपेक्षित सुधार न होने के दृष्टिगत ऐसी योजनाएं, जिसमें 20 प्रतिशत से अधिक अनिस्तारित सम्पत्तियाँ हैं, वहाँ एकमुश्त भुगतान पर 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाए, जो 5 प्रतिशत की वर्तमान छूट के

			अतिरिक्त हो, सर्वसम्मति से प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
260/12	मा0 निदेशक मण्डल की 257वीं बैठक के मद सं0 257/15 विषय पर प्रस्तुत प्रस्ताव/नीति पर लिए गए निर्णय के बिन्दु सं0 2(a) एवं 2(b) एवं बिन्दु सं0-3 पर जारी कार्यालय आदेश सं0-757 दिनांक 25-07-2022 द्वारा दी गयी व्याख्या के सन्दर्भ में 02 प्रतिशत अतिरिक्त दण्ड ब्याज के सम्बन्ध में मा0 निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्पत्ति	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
260/13	परिषद योजनाओं में सम्पत्तियों के आवंटन एवं भुगतान की धनराशि आर.टी.जी.एस/एन.ई.एफ.टी/इलेक्ट्रॉनिक मोड (ऑनलाइन ट्रांसफर, नेट बैंकिंग) के माध्यम से जमा कराये जाने हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणी।	सम्पत्ति	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
260/14	अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत श्री- मनोज कुमार चतुर्वेदी, तत्कालीन लेखाकार, सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय सिकन्दरा आगरा, सम्प्रति सेवानिवृत्त लेखाकार के विरुद्ध गठित विभागीय जांच में सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद-351ए के अन्तर्गत 05: पेंशन कटौती 05 वर्षों तक किये जाने का दण्ड दिये जाने के सम्बन्ध में।	अनुशासनिक	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
260/15	अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत श्री सन्तोष कुमार चौहान, तत्कालीन कनिष्ठ लेखाधिकारी, निर्माण इकाई, इटावा सम्प्रति सेवानिवृत्त कनिष्ठ लेखाधिकारी के विरुद्ध गठित विभागीय जांच में सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद-351ए के अन्तर्गत 05% पेंशन कटौती 02 वर्षों तक किये जाने का दण्ड दिये जाने के सम्बन्ध में।	अनुशासनिक	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
260/16	सहायक अभियन्ता को अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नति हेतु अनिवार्य दो वर्ष की 'नान फील्ड जाब' की अवधि को शिथिल	प्रशासन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। 

Ⓐ

	किए जाने के सम्बन्ध में।		
260/17	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद में लेखा संवर्ग एवं लिपिकीय संवर्ग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सीमित अवधि के लिए फिक्स मानदेय पर, संविदा पर अनुबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रशासन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
260/18	परिषद योजनाओं में आवासीय एवं अनावासीय सम्पत्तियों की नीलामी/ई-नीलामी में प्राप्त उच्चतम बोली को निरस्त करने के उपरान्त उन्हें पुनःनीलामी/ई-नीलामी में प्रस्तावित किये जाने पर पूर्व में प्राप्त उच्चतम बोली से कम बोली प्राप्त होने पर बोली के सम्बन्ध में सक्षम स्तर पर स्वीकृत/अस्वीकृत का निर्णय लेने में आ रही कठिनाई के निवारण हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणी।	सम्पत्ति	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव में बिन्दु संख्या-1 अनुमोदित तथा बिन्दु संख्या-2 का पुनः परीक्षण कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया
260/19	भूमि विकास, गृहस्थान एवं बाजार योजना (ग्रीन फील्ड टाउनशिप) अयोध्या की सीमा के अन्तर्गत राजमार्ग संख्या-27 (लखनऊ-गोरखपुर बाईपास) वर्तमान हाईवे को एलिवेटेड किये जाने के कार्य हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रेषित आगणन के आधार पर वांछित धनराशि रु0 264.26 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव।	अभियन्त्रण	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रकरण में एलिवेटेड रोड का प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि एलिवेटेड रोड इस तरह से डिजाईन हो कि एलिवेटेड रोड बनने के बाद उतनी लम्बाई तक वर्तमान सड़क जी0एफ0टी0 योजना के लेबल तक हटाई जा सके एवं सर्विस रोड का प्राविधान तभी किया जाए अगर परिकल्पित ले-आउट के अनुसार हो।
260/20	परिषद की हाथरस भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-1 हाथरस में समाविष्ट ग्राम अहियापुर के खसरा संख्या 400 व 410 की भूमि के सम्बन्ध में	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव में शासन के पत्र द्वारा लगायी गयी सभी शर्तों का अनुपालन होने के उपरान्त पुनः परिषद बैठक में रखें।

अनुमोदित,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
अध्यक्ष

4